अरुंधती वशिष्ठ अनुसंधान पीठ

परिचर्चा दिनांक – 22 मार्च 2014

महावीर भवन, इलाहाबाद

जम्मू–कश्मीर और अनुच्छेद 370 : सत्य और तथ्य

जम्मू–कश्मीर के बारे में यूँ तो कुछ सामान्य जानकारी हम सभी को है। जैसे, जम्मू–कश्मीर में कोई विवाद चल रहा है, वहाँ पर कुछ मुस्लिम अलगाववाद जैसी स्थिति है, सारी दुनिया से वहाँ पर आतंकवादी आते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की कठिनाईयाँ हैं, जिनका हल करने के लिए 65 साल का समय भी कम रहा। उनका हल होना आसान नहीं है। एक ऐसी धारणा कुछ हमारे मन में बन गई है। इनमें से कुछ सही हैं लेकिन ज्यादा गलत हैं।

जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसमें कई प्रकार सूचियाँ हैं। एक केन्द्रीय सूची है, एक राज्य की सूची है और एक समवर्ती सूची है। मुझे लगता है कि एक चौथी सूची भी काल्पनिक है, जो हवा में है, लेकिन है। जिन विषयों को कभी भी हल नहीं किया जाना है वो उस सूची में है। जम्मू–कश्मीर का विषय शायद उसी सूची में है। इसका शायद कोई हल हो इसकी ओर ले जोने की कोई चर्चा भी शुरू कर दे तो लोग नाराज हो जाते हैं। लोग प्रतिक्रिया करने लगते हैं कि आप इस पर बात क्यों कर रहे हैं । हल तक पहुँचने की बात तो दूर है अपितु जिनकी हल करने की जिम्मेदारी है उनमें से बहुत लोग उसे हल तक ले जाने के बजाय बनी रहे इसका प्रयास करते हैं। इसमें केवल अलगाववादी नहीं हैं। अपने अध्ययन अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत जिम्मेदार लोग हैं। जिनकी जिम्मेदारी उसे हल करना है वे लोग भी उस समस्या को उलझाने में पूरी हिस्सेदारी करते हैं।

एक छोटी घटना कुछ समय पहले हुई आप लोगों में कुछ के ध्यान में आयी होगी। चीन और पाकिस्तान का समझौता हुआ। उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादरकोट से लेकर चीन के काशगर तक बनाने का तय किया है। अब इसका जम्मू–कश्मीर से कोई मतलब है या नहीं? क्या हमने इस पर कभी सोचा? मुझे सन्देह है कि हम में से किसी ने इस पर सोचा होगा। हमारे दो प्रमुख पड़ोसी देश कोई समझौता करते हैं तो उसके पक्ष क्या–क्या हो सकते हैं और उसका परिणाम भारत पर क्या होगा ये विचार करने की हममें से किसी ने

जरूरत नहीं समझी। हमारे बड़े–बड़े जो स्तम्भकर हैं वे भी इसका प्रयास नहीं करते। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जिसके जिम्मे ये विभाग आते हैं उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नही दी।

अब सवाल यह है कि ग्वादरकोट और काशगर जिनके बीच में 2015 किमी. कॉरिडोर बनना है, उसके बीच का 800 किमी. का हिस्सा जम्मू–कश्मीर का है। जब चीन और पाकिस्तान ये समझौता करते हैं कि जम्मू–कश्मीर के जमीन पर वे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनायेंगे तो भारत की सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए या नहीं? वे बिना हमसे बात किये हमारी जमीन पर कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। विरोध करना अलग बात है लेकिन क्या विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने क्या एक बयान भी जारी किया कि आप हमारी जमीन पर बिना अनुमति के कैसे कॉरिडोर बना सकते हैं। मुझे लगता है वहाँ फैसला लेने वाले लोगों से बहुत ज्यादा विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने नहीं पूछा लेकिन हमने क्यों नहीं पूछा?

यदि जम्मू–कश्मीर का वह भाग भारत का हिस्सा है तो पार्लियामेंट में यह विषय उठना चाहिए था। सवाल यह है कि उन्होंने नहीं सोचा ये एक पक्ष है हमने भी नहीं सोचा ये दूसरा पक्ष है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कैसे हो गया कि हमने भी नहीं सोचा? यहाँ बैठै लोग राष्ट्रवाद के विचार के वाहक लोग हैं। भारत माता, अखण्ड भारत वैगरह–वैगरह हम सबने खूब नारे लगाये हैं और केवल नारेबाजी के लिए हमने वे नारे नहीं लगाये, हमारी आत्मा में वह बसता है इसलिए हमने वे नारे लगाये। लेकिन जिस दिन हमने यह समाचार पढ़ा उस दिन हमारे मन में भी यह प्रश्न या प्रतिक्रिया नहीं आयी कि ऐसा कैसे हो रहा है? उसका कारण यह है कि हमें भी नहीं मालूम कि भारत क्या है। हमारे पास भारत का जो मानचित्र है और जो हमारी कल्पना में ऊपर का हिस्सा है वह हमारे ध्यान में है। सातवीं–आठवीं–दसवीं में रहे होंगे तब हमें भारत का मानचित्र भरना सिखाते हैं। उसमें कृष्णा, कावेरी, यमुना, गंगा कहाँ हैं यह सबने भरा होगा। कश्मीर में कौन सी नदी बहती है किसी ने भरा है? क्या कभी किसी अध्यापक ने बताया है कश्मीर में कौन सी नदियाँ हैं? हमारे पाठ्यक्रम में आपको पूरे देश के बारे में पता है कहाँ पर कोयले की खान है, कहाँ पर अभ्रक मिलता है, कहाँ लोहा मिलता है, कहाँ तांबा मिलता है यह सबको मालूम है। जम्मू–कश्मीर में किस चीज की खाने हैं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन क्या है, वहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं, वहाँ पहाड़ कौन से हैं, वहाँ का जल स्रोत क्या हैं, वहाँ के बाकी व्यवस्थायें क्या हैं, कभी पढ़ा क्या? अगर वो भारत का हिस्सा है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान अधिगृहित कश्मीर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? ठीक है यदि यह भी मान लिया तो लद्दाख आदि के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। मैं अभी जब पहली बार लद्दाख गया तब पता चला कि टंगसे नदी पर टंगसे नाम का शहर बसा हुआ है। मैने पहले कभी भी नहीं सुना था कि भारत में इस नाम का कोई शहर है

और इस नाम की नदी है। ऐसी और दर्जनों नदियाँ जब मेरे सामने आती चली गईं जो हमें पता ही नहीं है।

सिन्धू नदी के बारे में जो चीन और भारत में बहती है। वह भारत में भी है इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब सिन्धु दर्शन यात्रा शुरू हुई। मुझे याद है कि जब यात्रा शुरू हुई तो बड़े उत्साह से बताया गया था कि वो लेह में है और डेढ़ कि.मी. भारत में बहती है, उसके दर्शन के लिए यह यात्रा है। लेकिन मुझे पहुँचने पर पता चला कि जिसकी आप बिना भारत सरकार की अनुमति लिए दर्शन कर सकते हैं वह डेढ़ कि.मी. है। सिन्धु के तट पर उससे आगे आपको जाना है तो भारत सरकार का परमिट चाहिए। भारत में जाने के लिए भारतीय नागरिक को भारत सरकार का परमिट चाहिए। आमतौर पर परमिट नहीं मिलता। बिना परमिट के ही हम लोग भारत में ही 350 किमी. सिन्धु नदी किनारे–किनारे गये, लेकिन मुझे चलते समय भी कल्पना नहीं थी कि 350 किमी. सिन्धु नदी भारत में है। समस्या के समाधान के बजाय सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि आपको एक सीमा से अधिक पता ही न चले कि उस पार क्या हो रहा है। यह पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति नहीं है। यह भारत के कब्जे में भारत की व्यवस्था में रहने वाले जम्मू–कश्मीर की स्थिति है, जहाँ पर सरकार ने भारत के नागरिकों को बाध्य कर दिया है। लद्दाख जिला लगभग 59 हजार वर्ग किमी. का है। 59 हजार वर्ग किमी. के एरिया में एक भी अखबार नहीं छपता न ही किसी चैनल का आफिस है, वहाँ पर कोई संवाददाता नहीं है। इसलिए वहाँ की कोई खबर आपको नहीं मिल सकती। केवल मंत्रालय जो जारी करता है वही सारा प्रूफ है। मीडिया को लेह से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती। आप जायेंगे ही नहीं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। वहा पर सैकड़ों गांव हैं। 59 हजार में से 10 हजार वर्ग किमी0 छोड़ दीजिए तो लगभग 50 हजार वर्ग किमी. की एरिया ऐसी है जहाँ भारत का नागरिक नहीं जा सकता। जहाँ चाइनीज सैनिक आकर अपना तम्बू गाड़ सकते हैं। जहाँ पाकिस्तान के घुसपैठिए आकर रह सकते हैं, लेकिन भारत का नागरिक नहीं जा सकता। सारा प्रयास ऐसा हुआ कि देश के लोगों को पता ही न चले।

यदि मान लिया जाये कि अगर भारत–पाकिस्तान में समझौता हो जाये और पाकिस्तान ये कह दे कि पूरा तो नहीं, लेकिन हम आप को 10 शहर पी.ओ.के वाले दिये, आप आधा वापस ले लो और वह यह कहे कि आप ही चुन लो कि आपको क्या वापस लेना है। तो क्या आप 10 शहरों के नाम बता सकते हैं पी.ओ.के. के जो हम वापस लेंगे। भारत का हिस्सा है, भारत सरकार मानचित्र में दिखाती है, लेकिन मेरा क्या चला गया है, क्या खोया है जब तक पता नहीं होगा तब तक मेंरे मन में उसे वापस लेने की इच्छा कैसे आयेगी? मुझे मालूम ही नहीं कि खोया क्या है। सीमा के उस पार मेरा क्या है, यह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हमारी

चर्चा में नहीं है, भारत सरकार के रिकार्ड्स में नहीं है। यह षड्यन्त्र कहें या लापरवाही कहें जो भी कहें, लेकिन समस्या यह है कि हम जब जानेंगे ही नहीं वहाँ के लोगों को तो कैसे हम उनको वापस लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जानकारी का अभाव पैदा किया गया इसलिए धीरे–धीरे हम उस चीज को भूल गये। समाज की ओर से और भारत की ओर से ये दबाव बनना समाप्त हो गया कि उसे वापस भी कभी लेना है। 1994 में भी भारत की संसद ने संकल्प लिया, लेकिन उस संकल्प में वापस लेने की बात करने के बाद वापस लेने के क्या प्रयास हुए? आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ और किसी ने ये पूछा नहीं कि संकल्प आपने लिया था तो आगे हुआ क्या?

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्या स्थितियाँ चल रही हैं? वहाँ आन्दोलन चल रहे हैं, वहाँ पर लोग पाकिस्तान से आजादी के लिए भयंकर आन्दोलन चला रहे हैं और हर साल सैकड़ों लोग वहाँ इस आन्दोलन में मरते हैं। वे लोग पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते हैं। सिंगे सेरेन नाम के एक नौजवान वहाँ जब दबाव बढ़ा तो पी.ओ.के. छोड़ कर भागना पड़ा। वह अमेरिका जा कर बस गया। अमेरिका में उसने राजनीतिक शरण ली वहीं पर अभीं रहता है। अभीं पिछले महीने हमने उसको भारत में बुलाया, दिल्ली, चण्डीगढ़, भोपाल में उसके कार्यक्रम हुए। उस कठिन परिस्थिति में जहां पर पाकिस्तान की सेना सीधे गोली मारती है वे आन्दोलन कर रहे हैं और वहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ कि हम भारत के नागरिक हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। भारत अपने कॉलेजों में यहाँ के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण कर दे और आने के लिए छूट दे दे। जो लोग जान देकर भी पाकिस्तान से छूट कर भारत के साथ अपना सम्बन्ध जोड़े रखना चाहते हैं भारत उनके बारे में कोई विचार नहीं करता। वहाँ की कोई खबर आने नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में हम जैसे लोग जो राष्ट्रवादी हैं देश की चिन्ता करते हैं वे क्या करें ये एक प्रश्न आता है। इसलिए सबसे पहला कार्य हम जैसे बुद्धिजीवी लोग अध्ययन में रुचि रखने वाले लोग उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वहाँ के तथ्य हैं यदि हमें नहीं पता चलेंगे तो आम आदमी को कैसे पता चलेंगे। आम आदमी तक ये सारी जानकारियाँ पहुंचाने का काम करना पड़ेगा।

समाज जब तैयार होता है, प्रतिरोध करता है तो काम होता हैं। दिल्ली में अभी पिछले दिनों निर्भया काण्ड हुआ। हम सब को याद है जनता जब सड़क पर आई तो आठ महिने के अन्दर संसद ने कानून बना दिया, न्यायपालिका में फैसले हो गये, उन सबको सजायें हो गईं। केवल आठ महीनों में क्योंकि जनता सड़कों पर उतरी। निर्भया की घटना त्रस्त करने वाली थी। लेकिन जम्मू–कश्मीर का जो विषय है वो भी देश के लिए अस्मिता का सवाल है। उस पर हम लोगों को सड़कों पर भले ही उतारने की जरूरत न पड़े, लेकिन एक वैचारिक अभियान शुरू करना पड़ेगा। जब लोग सवाल करना शुरू करेंगे अपने प्रतिनिधियों से तो

निश्चित रूप से इस बात पर भी सरकार को कुछ करना पड़ेगा। सरकार किसी की भी होगी जब दबाव बनता है तो करना पड़ता है। अपने देश की जनता के विरुद्ध खड़े होकर कोई सरकार नहीं चल सकती इसलिए उसको करना पड़ता है।

अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जैसे अपने देश की सरकार अपने खिलाफ नहीं हो सकती। इसी तरह क्या ये सम्भव है कि किसी पूरे समाज को बन्दूक के दम पर कोई कब्जे में रख ले, वह भी 65 साल तक। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इसलिए जो दूसरे प्रकार की चर्चा हमारे सामने आती है कि जम्मू–कश्मीर में राज सेना के बल पर कायम है और जिस दिन सेना हटा ली गई सब गड़बड़ हो जायेगा। सेना वहाँ बहुत अत्याचार कर रही है और वहाँ के लोग बहुत पीड़ित हैं। ये जो चर्चा हमें सुनाई देती है वह भी एक प्रकार का भ्रामक प्रचार है। सवा करोड़ लोग वहाँ पर हैं। 120 लाख लोगों को क्या आप बन्दूक के दम पर कब्जे में रख सकते हैं? ये सम्भव नहीं है। बन्दूक के दम पर नहीं रह रहे हैं निश्चित रूप से वहाँ का बहुमत भारत के साथ रहना चाहता है इसलिए वो भारत में है। जिस दिन वहाँ का बहुमत उन लोगों का हो जायेगा जो भारत से अलग होना चाहेंगे, उस दिन कोई भी ताकत भारत के साथ रोक सकती है क्या? इसलिए सच ये है कि वहाँ का बहुमत हमेशा से भारत के साथ था, आज भी भारत के साथ रहना चाहता है। कुछ मुट्ठी भर लोग जिनके हाथ में वहाँ के सरकारी तन्त्र, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ की राजनीति, वहाँ के उद्योग हैं, ऐसे सौ परिवार हैं। उन लोगों का यह प्रयास है कि ये स्थिति बनी रहे। उनके हाथ से ये चीजें नही निकलनी चाहिए और उनके जो निहित स्वार्थ हैं उन स्वार्थों में दिल्ली की व्यवस्था का अपना स्वार्थ जुड़ गया है। इसलिए बहुत लम्बे समय से जब भी लगता है कि आतंकवाद अब हारने लगा है तब अचानक आतंकवाद तेज हो जाता है। क्योंकि दिल्ली और श्रीनगर मिल कर तय करते हैं कि अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो जो हजारो करोड़ की अनएकाउन्टेड मनी आती है जिसपर सी.ए.जी. भी कुछ नहीं कर सकता वो आनी बन्द हो जायेगी और उसका बन्दर बाट दोनों के बीच में सम्भव नहीं होगा।

इसलिए इन परिस्थितियों में जम्मू–कश्मीर पर ध्यान देने की बात है। जानकारी का अभाव ये एक पहलू है और गलत जानकारी को प्रचारित करना ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा विषय यह है कि हमको लगता है कि धारा 370 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके कारण सारी समस्यायें हैं। उसके कारण हम वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बना सकते, वोट नहीं दे सकते, वहाँ पर कोई अपनी स्थाई व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन ये 370 के कारण नहीं है। 370 एक सहज अनुच्छेद है, जो सबसे छोटे अनुच्छेदों में से एक है। भारत के संविधान में जिस समय इसको जोड़ा गया उस समय भी इसको अस्थाई, प्रक्रियात्मक है कहा गया, जिसके आधार पर भारत के संविधान को वहाँ पर लागू करना है। क्योंकि पूरे

देश के बाकी सभी राज्यों में अंग्रेज जा चुके थे और भारत को शासन व्यवस्था चलानी थी। राज्यों में शासन चलाने के लिए कोई तो संविधान चाहिए होता है। उस संविधान को बनाने के लिए व्यवस्था बनाई गयी कि वहाँ की संविधान सभा अपने लिए संविधान बना ले। कुछ राज्यों ने उसको किया। त्रावणकोर में बन गई, मैसूर में बन गई और कई जगह पर बन गई। लेकिन ज्यादातर नये–नये राज्य थे, छोटे–छोटे राज्य थे चूंकि वहाँ तब तक राजशाही चल रही थी इस लिए संविधान निर्माण का वहाँ के लोगों का अभ्यास ही नहीं था। वे स्वतंत्र राज्य थे केवल अंग्रेजों के साथ समझौता था। राजा का राज्य चलता था। अचानक उनको कह दिया गया अब आप लोकतन्त्र में आ गये हैं, अब आप अपना संविधान बना लीजिए। उनके लिए नया विषय था। ज्यादातर लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनको समय लगने वाला था।

उसी तरह का प्रयास कश्मीर में भी हुआ, लेकिन कश्मीर में एक विशेष परिस्थिति ये आ गई कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो जब वहाँ गोलियां चल रही हों, जनता पर अत्याचार हो रहा हो, लॉ एण्ड आर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका हो ऐसे समय संविधान सभा का चुनाव कैसे संभव था? वहाँ पर संविधान सभा का गठन संभव ही नहीं था। आधा जम्मू–कश्मीर तो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया वहाँ पर चुनाव कैसे होगा, वहाँ के प्रतिनिधि कैसे आयेंगे यह भी एक प्रश्न था। यह एक असामान्य स्थिति थी जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन यह स्थिति समाप्त कब होगी, युद्ध कब रुकेगा, कब तक बातें शुरू होंगी, कब सामान्य स्थिति आयेगी, कब पी.ओ.के. वाला हिस्सा भारत में मिलेगा, कब यहाँ के लोग वहाँ जायेंगे और वहाँ पर वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा इसका तो कोई अनुमान ही नहीं था तो बिना संविधान के राज्य चलेगा क्या? अब तो 65 साल हो गये, लेकिन उस समय यह था कि 6 महीने में भी सुलझ सकता है और 6 साल भी लग सकते हैं। अगर वर्षों लग गये तो क्या कोई राज्य बिना संविधान के चल जायेगा, संविधान तो चाहिए। यह तय हुआ कि इसकी कोई प्रक्रिया बना ली जाये, जिसका प्रयोग करते हुए भारत का संविधान की जो जरूरी हिस्से हैं वे वहाँ पर लागू कर दिये जायें। अनुच्छेद 370 की भूमिका केवल भारत के संविधान को वहाँ पर लागू करने की है, जिसका 260 अनुच्छेद लागू करने में प्रयोग किया गया है, इसके अलावा उसकी वहाँ कोई भूमिका नहीं है। शेष भारत का व्यक्ति वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, वोट नहीं दे सकता आदि जो बाकी सारी चीजें हैं वह इसके कारण नहीं हैं। वहाँ एक अलग प्रकार की राजनीति हुई जिसके कारण ये सब हुआ। धारा 370 के अन्तर्गत यह था कि वहाँ पर जो सत्ता है वह जिन विषयों पर कानून बनाना जरूरी समझेगी उसको पारित कर उसकी सिफारिश करेगी और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसे लागू किया जायेगा।

जब 1947 में भारत में विभाजन हुआ तो वहाँ दो पक्ष थे। पहला महाराजा हरि सिंह और दूसरे शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीर घाटी के नेता थे जम्मू–लद्दाख के नेता नहीं थे। लेकिन जम्मू में क्योंकि डोगरा लोगों का बहुमत था और उनके राजा हरि सिंह थे, तो जम्मू के लोगों ने अपने राजा के खिलाफ आन्दोलन करने की जरूरत नहीं समझी। कश्मीर के लोगों को लगा की हमारी एक अलग पहचान हैं, हम कश्मीरी हैं और जम्मू वालों से हम आजाद हो जायेंगे और कश्मीर को स्वतंत्र कर लेंगे। यह कश्मीर के कुछ लोगों को शेख अब्दुल्ला ने समझाया और वहाँ के नेता बन गये। व्यावहारिक वहाँ पर दो ही पक्ष थे, दो अपोनेन्ट थे, महाराजा और शेख अब्दुल्ला। भारत में विलय हो इसके लिए दोनों की सहमती थी इसीलिए भारत में विलय हुआ। भारत में विलय दोनों ही चाहते थे लेकिन आपस में दोनों में सहमती नहीं थी। इसलिए महाराजा शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थे, लेकिन भारत में विलय हो इस पर दोनों सहमत थे।

जब पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तब राजा ने अपने प्रधानमंत्री मेहर चन्द महाजन को नेहरू जी के पास सैनिक सहायता के लिए भेजा। नेहरू जी ने कहा कि बिना भारत में विलय के सेना नहीं भेजी जा सकती। महाजन ने कहा कि विलय का प्रस्ताव तो पहले ही भेजा जा चुका है। तब नेहरू जी ने शर्त रखी कि सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंपनी पड़ेगी। उसके बाद भी सेना भेजने के विषय पर चर्चा होती रही। जो डाक्यूमेन्ट मिलते हैं उसमें 24 अक्टूबर 1947 को माउन्टबेटन के पास यह समाचार पाकिस्तान से आ गया था कि पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है, लेकिन माउन्टबेटन ने समाचार प्राप्त करने के बाद कहा कि ठीक है परसों नेहरू जी से हम मिल रहे हैं तब बात करेंगे। भारत का गवर्नर जनरल यह समाचार मिलने पर कि भारत पर आक्रमण होने वाला है और 24 तारीख को हो जायेगा, कहता है कि ठीक है परसों बात करेंगे। 26 तारीख को नेहरू जी से मिलते हैं नेहरू जी बात करते हैं तो वे कहते हैं ठीक है सेनाध्यक्ष से बात करेंगे कि वह इसको कितना रोक सकते हैं।

इंग्लैण्ड ने तय किया कि पाकिस्तानी सेना का चीफ भी अंग्रेज, भारतीय सेना का चीफ भी अंग्रेज और इन दोनों का चीफ भी अंग्रेज, तीनो अंग्रेज हैं। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो दुनिया में संदेश ये जायेगा कि अंग्रेज ही अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा है। यह तो हमारी बेइज्जती हो जायेगी। इंग्लैण्ड ने दोनों को यह आर्डर दिया कि दिखना नहीं चाहिए कि अंग्रेज–अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा है। अब शब्दों का अर्थ कितना गहरा हो सकता है इसको देखिए। संदेश आया एक अंग्रेज कामण्डर दूसरे अंग्रेज कमाण्डर के खिलाफ लड़ते हुए नहीं दिखना चाहिए। आदेश पालन कैसे हुआ, पाकिस्तान का कमाण्डर आक्रमण कर दिया भारत के कमाण्डर ने कहा हमें तो ये निर्देश है कि अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ना है, इसलिए

हम नहीं लड़ सकते। अब आप इसे सामान्य स्थिति मानेंगे कि षड़यन्त्र मानेंगे। अभी ये तथ्य कुछ समय पहले प्रकाशित हुए हैं। इस षड्यन्त्र की स्थिति में जब भारत का सेनाध्यक्ष 26 तारीख को कहता है कि इतनी जल्दी नहीं जा सकती सेना, लेकिन फिर अगले दिन 27 की सुबह उनकी मीटिंग होती है और पटेल कहते हैं मुझे नहीं मालूम यह कैसे होगा लेकिन शाम को मुझे सेना कश्मीर में चाहिए और सेना का विमान चाहिए जिसमें मैं जाऊंगा, तब फिर व्यवस्था हुई।

आक्रमण जब हुआ तो महाराजा का दरबार उस समय श्रीनगर से जम्मू आ गया था। दो–तीन दिन पहले उनसे कहा गया कि यहाँ पर स्थिति खराब होती जा रही है और चूंकि भारत में विलय की वार्ता करनी है तो श्रीनगर बार–बार आना मुश्किल है इसलिए आप जम्मू आ जाइये तो जम्मू से वार्ता हो जायेगी। इसलिए महाराजा जम्मू में थे और शेख अब्दुल्ला गायब थे। आक्रमण कश्मीर पर हुआ था। पाकिस्तान की सेना श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी और श्रीनगर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला वहाँ से गायब थे। मेहरचन्द लिखते हैं कि नेहरू जी ने कहा कि हम सेना नहीं भेज सकते। जब मेरे बहुत आग्रह के बाद भी 27 अक्टूबर को वे तैयार नहीं हुए तो मैने कहा कि मेरे राजा का सन्देश यह है कि हम अपनी जनता को बेवजह नहीं मरवायेंगे। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो उन्होंने ये आर्डर दिया है कि अगर वहाँ से बात न बनती हो तो सीधे करांची जाओ और पाकिस्तान से बात करो। यदि जरूरत हो तो वहाँ विलय करो, लेकिन अपनी जनता को नहीं मरवाना है। इसलिए अगर आप तय करते हैं कि आप सेना नहीं भेज पायेंगे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मैं पाकिस्तान जाता हूं। महाजन लिखते हैं कि जब मै यह कह कर कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ, उठ कर खड़ा हो गया तो नेहरू जी के अन्दर के कमरे से शेख अब्दुल्ला बाहर आये। श्रीनगर से गायब थे, नेहरू जी के घर में थे और बात सुन रहे थे। उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आप ऐसा मत कीजिए विलय स्वीकार कीजिए और सेना को तुरन्त भेजिए। शेख अब्दुल्ला के कहने पर नेहरू जी फिर थोड़ा सा पसीजे और दूसरी तरफ पटेल ने कहा कि आज शाम तक सेना वहाँ पर उतरेगी। ये बात मैंने इसलिए बताई कि शेख अब्दुल्ला जिन्होंने सेना भेजने के लिए नेहरू जी को तैयार किया और महाराजा जो विलय का हस्ताक्षर कर के भेजते हैं। दो ही पार्टी हैं राज्य में और दोनों ही भारत में विलय चाहती हैं फिर विलय विवादित कैसे हो सकता है? विलय तो विवादित नहीं है लेकिन किसको क्या लिखना चाहिए था, किसे क्या कहना चाहिए था और क्या कहा गया। इससे ये बात ध्यान में आती है विलय को विवादित बना दिया गया।

शेख अब्दुल्ला भारत के प्रतिनिधि के नाते भारत का पक्ष रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में भेजे जाते हैं। दो साल तक वे जाते रहे भारत को उन पर इतना भरोसा था इसलिए प्रतिनिधि बनाकर भेजे जाते थे। लेकिन अचानक संयुक्त राष्ट्र संगठन में कुछ अलग

तरह के मोड़ आये। उसकी भी कुछ बैकग्राउण्ड ध्यान में रखनी चाहिए। अमेरिका और इंग्लैण्ड की मूल योजना पहले से भारत के विभाजन की थी। हमें यह लगता है कि भारत के स्वतन्त्रता का अचानक फरवरी–मार्च में प्रस्ताव चला, मई में बातें हुईं और जून में इंग्लैण्ड में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। अंततः अगस्त में स्वतन्त्रता हो गया। सब कुछ घटना क्रम इतना तेजी से हुआ कि कुछ करने का समय नहीं मिला। यह सामान्य चर्चा रहती है कि कांग्रेस के पास इतना समय नही था। वे क्या करें समझ ही नहीं पाये इसलिए विभाजन हो गया। लेकिन मुझे एक डाक्यूमेन्ट मिला, यह डाक्यूमेन्ट है 1938 के हरिपुरा कांग्रेस का, जिसमें सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशान था, उसमें सारे कांग्रेस के बड़े नेता नेहरू, पटेल, गांधी जी वगैरह सब मौजूद थे। हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष जी ने जो भाषण दिया उस भाषण में उन्होंने कहा कि इंग्लैण्ड ने आयरलैण्ड से विभाजित करके आयस्टर से अलग किया है, आने वाले समय में मेरा अनुमान है कि वे इजराइल और फिलिस्तिन को अलग करेंगे, और जाने से पहले वो भारत को विभाजित करके जायेंगे। कांग्रेस को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये 1938 का सुभाष चन्द्र बोस का भाषण है। लेकिन चर्चा क्या है कि इतना कम समय था, पता ही नहीं चला, संभाल ही नहीं पाये। यदि 1938 में सुभाष चन्द्र बोस अगर पूरे कांग्रेस के सामने कह सकते हैं तो यह हमारी लापरवाही हो सकती है लेकिन हमारी गैर जानकारी नहीं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैण्ड एवं अमेरिका के द्वारा ये काम शुरू हो गया था कि ऐसे देश जो भविष्य में कभी 100–50 साल बाद इंग्लैण्ड और अमेरिका के लिए बड़ी समस्या बन सकते थे या दुनिया की महाशक्ति बनने की रेस में शामिल हो सकते थे, उन सबको तोड़ कर इतना छोटा कर देना, उनको आपस की समस्या में इतना उलझा देना ताकि वे विश्व में अपना स्थान बनाने की होड़ में हिस्सेदार न बन पायें। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी। अब उस पूरी तैयारी के बीच ही रुस की क्रांति हो गयी और क्रान्ति के साथ एक और चीज हुई रूस ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। आप को ध्यान होगा कि वहाँ का एक गणराज्य था ताजकिस्तान जो अभी स्वतन्त्र हो गया। ताजकिस्तान और जम्मू–कश्मीर की सीमाएं साथ मिलती थीं। जब रूस ताजकिस्तान तक आ गया, यानी कश्मीर की सीमा पर आ गया तब उसका अगला चरण क्या होना था? संभावित रूप से भारत के जम्मू–कश्मीर में उसको प्रवेश करना था। अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों को लगता था कि ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो जम्मू–कश्मीर का जो सीमावर्ती हिस्सा था जिसको गिलगिट कहते हैं, जम्मू–कश्मीर के महाराजा से उन्होंने लीज पर ले लिया। अपनी सेना की पूरी ब्रिगेड वहाँ पर रखी, एक हेड क्वार्टर गिलगिट में बनाया। उन्होंने उस पूरे एरिया को सेना से कवर किया, ताकि रूस आक्रमण करके ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला न करे। अब जब स्वतन्त्र करने की स्थिति आई तब उन्हें लगा कि ये रूस और चीन जो दोनो बड़ी शक्तियाँ

उभर रही हैं ये आगे चुनौती देंगी और भारत स्वतन्त्र हो जायेगा तो भारत भी चुनौती देगा। अब इन्हें हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कोई अड्डा उनको इस एरिया में चाहिए था। ऐसा एरिया गिलगिट ही था जहाँ से रूस का ताजकिस्तान और चीन का तिब्बत वाला हिस्सा मिलता था। जो कश्मीर वाला हिस्सा था यह भारत के स्वतन्त्र और सबसे बड़ी रियासत का हिस्साा था। दो लाख बाईस हजार वर्ग किमी. की रियासत जिससे इंग्लैण्ड अपने आप में छोटा है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की रचना की। जिन्ना इंग्लैण्ड गये तो उनको समझाया गया कि जा कर मांगो हम दे देंगे। जैसा जिन्ना ने खुद कहा कि एक टाईपिस्ट और एक टाईपराइटर के दम पर मैने पाकिस्तान बना लिया। अब पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका कि तुलना में एक छोटा देश था। यह उनका अड्डा बन सकता था। उनकी जो सोच थी उसमें रूस की चुनौती, चीन की चुनौती सौ साल तक चल सकती थी।

पाकिस्तान जैसा देश अगर हम उसकी इकोनामी देखें तो उसका जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ पर अन्न तो बहुत पैदा होता है। खद्यान्न के हिसाब से पंजाब का हिस्सा बहुत समृद्ध है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर कुछ नहीं हैं। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध, और बंग्लादेश के बीच इतनी दूरी। तो बिना नेचुरल रिसोर्सेज के पाकिस्तान कैसे सौ साल बना रहेगा? उनकी ये प्राथमिकता थी कि सौ साल पाकस्तान चले और सौ साल चले तो बिना संसाधन के कैसे चल सकता है। प्राकृतिक संसाधन उसके सबसे नजदीक में जम्मू कश्मीर में है। तो उन्होंने ये तय किया कि पाकिस्तान को बने रहने के लिए जम्मू–कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिले। यदि जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ होगा तब उनका रूस और चीन की सीमा पर गिलगिट में पहुँच होगी, क्योंकि अगर जम्मू–कश्मीर भारत में रहता है तो पाकिस्तान का भी उद्देश्य आधा ही पूर्ण होता है पूरा नहीं होता है। गिलगित यदि पाकिस्तान में नहीं आयेगा और भारत में रहेगा तो भारत अनुमति नहीं देगा कि वह अपना अड्डा वहाँ बना लें। उन्होंने ये पूरी तैयारी की कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिले।

इसलिए महाराजा ने जब अप्रैल में अपने प्रधानमन्त्री को दिल्ली भेज दिया भारत में विलय की बात करने के लिए, उसके बाद मउन्टबेटन खुद श्रीनगर गये पांच दिन वहाँ पर रहे और महाराजा को ये संदेश भेजवाया कि आपका भला इसमें है कि आप पाकिस्तान में मिल जाइए। माउन्टबेटन भारत के गर्वनर जनरल थे। भारत का गवर्नरजनरल कश्मीर के महाराज को ये समझा रहा था कि आपके लिए अच्छा यह है कि आप पाकिस्तान मे मिल जायें। कश्मीर के महाराजा एक बार उनसे मिले दुबारा उन्होंने उनसे भेंट नहीं की। वे पांच दिन रह कर वापस आये। वापस आने के बाद दुबारा, अपने सहायक लार्ड इस्मे को वापस श्रीनगर भेजे। वह महाराजा के पास यह संदेश लेकर गया कि यदि आप पाकिस्तान के साथ विलय करते हैं तो कांग्रेस बुरा नहीं मानेगी। दूसरी तरफ महात्मा गांधी वहाँ गये और उन्होंने कहा

लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है, राजा की नहीं, इसलिए जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर आपको फैसला करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान में मिलो। उन्होंने केवल लोकतन्त्र का महत्व उनको समझाया और कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जनता की इच्छा क्या है इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करिये। माउंटबेटन के सुझाव के बावजूद उन्होंने विचार करने में समय लगाया।

फिर आक्रमण हुआ तो महाराजा ने हस्ताक्षर करके विलय पत्र भेज दिया। जब भेज दिया तो माउंटबेटन के पास उसको स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। माउन्टबेटन ने स्वीकार कर लिया, लेकिन तीन दिन बाद माउंट बेटन के पास इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री एटली का एक टेलीग्राम आया। उस टेलीग्राम में लिखा है कि आपने जो किया है इसके लिए ब्रिटिश क्राउन आपको कभी माफ नहीं करेगा। दो साल बाद माउंट बेटन यहाँ से चले गये और इसके लम्बे समय बाद 1972 में उनकी मृत्यु हुई। राजघराने के सबसे नजदीकी आदमी होने के कारण उनको भारत के विभाजन के लिए भेजा गया था। उस आदमी को 48 से लेकर 72 तक कोई पद नहीं दिया गया। वे इंग्लैण्ड के सबसे उपेक्षित लोगों में से एक थे। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने उनको इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं किया कि वे कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गये। परन्तु उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था, जब पेपर साइन होकर आ गया तो उनको स्वीकार ही करना था, लेकिन इसके बावजूद उनको माफ नहीं किया गया। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र था, जो उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद खेला जा रहा था। उनकी राजनीति में जम्मू–कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाना था। जहां से वे अपनी दुनिया की राजनीति को चला सकें, संयोग से वह नहीं हुआ।

शेख अब्दुल्ला को भारत का प्रतिनिधि बनाकर यूनाइटेड नेशन के काउंसिल में भेजा गया था। यहाँ पर यह ध्यान दिला देना आवश्यक है कि हमारे समस्या का समाधान करो, हमारे बीच में विवाद है, इसके लिए यूनाइटेड नेशन में भारत नही गया था। सिक्योरिटी कौंसिल में गया था और यह शिकायत लेकर गया था कि मेरी जमीन पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है, मेरी संप्रभुता पर हमला हुआ है। मेरा अधिकार है कि मै इसको मार कर बाहर निकाल दूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं चाहता इसलिए अगर आप अपने प्रभाव का उपयोग करके पाकिस्तान से खाली करा सकते हैं तो युद्ध से बचा जा सकता है अन्यथा मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए हम सिक्योरिटी काउंसिल में गये थे यूनाईटेड नेशन में नहीं गये थे।

इस बीच में उनको लगा की एक और मौका आ गया। इसलिए तमाम बहाने बनाये गये और सिक्योरिटी काउंसिल में तरह–तरह के प्रस्ताव पारित हुए, बहुत सारी बातें आयीं। क्योंकि यहाँ से शेख अब्दुल्ला जाते थे और वहाँ पर लम्बे समय तक रहते थे। वहाँ सभी लोगों के साथ उनकी बात होती थी। इसलिए शेख अब्दुल्ला को आखिरी हथियार की तरह समझाया

गया कि दुनिया के कई देशों से बड़ा जम्मू कश्मीर है, तुम इसके प्रधानमन्त्री हो। यदि राजा का बाहर कर दो तो राजा भी बन सकते हो। हम तुम्हे स्वतन्त्र देश की मान्यता दे देंगे। जब शेख को यह समझाया गया तो उसको समझ में आ गया। उसको पता था कि मिडिल ईस्ट में कितने शेख हैं और मैं भी वैसा ही शेख बन सकता हूँ। मैं एक स्वतन्त्र देश का राजा बन सकता हूँ। जब उसको सपना दिखाई दिया और वह प्रभावित हो गया तब उसने एक अलग प्रकार की रचना शुरू की। भारत ने स्थिति को नियन्त्रित मानते हुए और यूनाइटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पा रही है ये मानते हुए 1951 में सिक्युरिटी काउंसिल को लिख कर भेज दिया कि हमने तीन साल प्रतिक्षा कर लिया आपने कुछ नहीं किया और अब इसलिए हम अपना केस वापस ले रहे हैं। अब हमारा सिक्युरिटी काउंसिल में कोई केस नहीं है। अब हम अपने तरीके से वहाँ की जनता की इच्छा जानेंगे, क्योंकि हमने वचन दिया है। सुरक्षा काउंसिल के दबाव में नहीं बल्कि स्वयं कमिटमेंट किया कि वहाँ पर जनता की इच्छा जानी जायेगी और इसलिए हम वहाँ पर चुनाव करायेंगे। जनता अगर सहमत होगी तो चुनाव में भाग लेगी, नहीं सहमत होगी तो नहीं लेगी। चुनाव आयोजित कराये गये 75 सीटें थीं। 75 सीटों पर संविधान सभा के चुनाव हुए। लेकिन शेख ने एक खेल कर दिया। उसने 73 सीटों पर अपने नेशनल कांफ्रेंस के प्रत्याशी को छोड कर बाकी सभी कंडिडेट्स के नामांकन कैंसिल कर दिये। तो 73 सीटों पर नेशनल कांफ्रेंस के प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हो गये। बाकी दो सीटों पर भी उसी को लोग निर्वाचित हुए। इस तरह 75 में से 75 विधायक उसके अपने हो गये। वहाँ से वह सीख ले ही चुका था कि तुम स्वतन्त्र हो सकते हो और इसके 75 में से 75 विधायक थे। तब उसने कहा कि मैं भारत के संविधान को आगे लागू नहीं होने दूंगा।

इसके लिए उसने तरह तरह की शर्तें रखनी शुरू कीं और स्वतन्त्र राज्य की मांग की। लेकिन इसके विषय में जो लिखा गया और जाना गया वह केवल शेख का पक्ष था। वास्तव में इसके पीछे ब्रिटिश कूटनीति क्या थी वह अब जाकर धीमें–धीमें सामने आ रही है। जो योजना पूर्वक तर्क दिये गये उनके आधार पर हम सब ने मान लिया कि कश्मीरी अलग होना चाहते हैं। वहाँ कोई राष्ट्रवादी स्वर बचा ही नहीं। यह भी भ्रम फैला कि हमने जनमत संग्रह का वचन दिया था वह पूरा नहीं किया गया। बिना तथ्यों की जाँच पड़ताल किये हम इन पर विश्वास करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि आज कश्मीर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। वहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस विषय में हम कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते। आज चीन और पाकिस्तान समझौता करते हैं तो हमें यह नहीं लगता कि हमारे भू–भाग के किसी हिस्से को रौंदते हुए समझौता किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में 370 की आड़ लेकर बहुत सारे धोखा हुए। धारा 370 में यह था कि वहां की विधानसभा, वहाँ की सरकार कुछ संस्तुतियाँ करेगी और बाकी पूरा प्रोसेस करने की बजाय राष्ट्रपति उसपर हस्ताक्षर कर के उसको लागू कर देगा। यह सरल व्यवस्था बनाई गई, लेकिन उसका

दुरुपयोग हुआ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आर्टिकल 35ए है। 35ए क्या है? वहां कि कैबिनेट ने राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजा, जिसका शीर्षक संवैधानिक आदेश 1954 है। उस आदेश में संविधान के हर अनुच्छेद पर कुछ–कुछ टिप्पणियाँ की गईं। वैधानिक रूप में यह ठीक था कि वहाँ के विधान सभा को संस्तुतियाँ करनी थी और राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने थे। भारत के संविधान में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार यदि कुछ परिवर्तन करने हैं तो वह संविधान की मूल तत्त्व की रक्षा करते हुए किये जा सकते थे, यही अनुच्छेद 370 में सुविधा है।

संशोधन क्या हुए इसके दो–तीन उदाहरण देता हूँ। अब वहां की संस्तुति आयी कि भारत के संविधान की भूमिका में जम्मू–कश्मीर के संदर्भ में से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया जाये। अब अगर सेक्युलर भारत के एक स्टेट से सेक्युलर शब्द को हटा किया जाता है तो इसका अर्थ क्या है? ये उसके मौलिक तत्त्व को बदलना है न कि मोडिफिकेशन है। अगली लाईन है कि उससे इन्टिग्रेशन शब्द हटा दिया जाये। अब इन्टिग्रेट हटाने का अर्थ क्या है, उसके पिछे की साइकोलाजी क्या है, कल्पना की जा सकती है। वहाँ के विधान सभा से एक और संस्तुति आई कि आर्टिकल 35 भारत के नागरिकों के बारे में व्याख्या करता है। आर्टिकल 35 के बाद आर्टिकल 35ए जोड़ दिया जाये। अब जोड़ना मोडिफिकेशन है क्या? उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35ए में हम अपने नागरिकों की व्याख्या स्वयं करेंगे, उन्होंने 1954 में कश्मीरी नागरिक की यह व्याख्या की कि उस समय से 10 साल पहले तक जो जम्मू–कश्मीर राज्य के स्थाई निवासी थे, जिनके पास वहां पर अचल सम्पत्ति थी, केवल वही जम्मू कश्मीर के नागरिक माने जायेंगे। जिनके पास 1944 से पहले अचल सम्पत्ति थी वे वहाँ के नागरिक हैं। उसके बाद आने वाले जम्मू–कश्मीर के नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 35ए के अनुसार जो जम्मू–कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं हैं उन्हें वहाँ पर रहने का अधिकार, सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार, अचल सम्पत्ति खरीदने का अधिकार या अन्य किसी प्रकार के अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं। वे लोग वहाँ पर कक्षा 12 के बाद पढ़ाई भी नहीं कर सकते।

अब प्रश्न उठता है कि भारत के संविधान में कोई अनुच्छेद बिना पार्लियामेन्ट में पास हुए जुड़ सकता है क्या? परन्तु जम्मू–कश्मीर के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेज दिया और भारत के राष्ट्रपति ने उसपर हस्ताक्षर कर दिया और वह लागू हो गया। यह भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ एक धोखा है। संविधान का एक शब्द भी बदलना है तो संसद में पारित होना जरूरी है। अध्यादेश भी पारित होता है तो 6 महीने के अन्दर यदि संसद में पास नहीं होता तो लैप्स हो जाता है। लेकिन 35ए संसद में बिना पारित हुए लागू हो गया और 55 साल से लागू है, ये विशेष स्थिति है। जम्मू–कश्मीर विधान सभा ने संस्तुति भेज दी कि लोक

सभा में जो प्रतिनिधि जम्मू–कश्मीर से जायेंगे, वे जनता द्वारा चुन कर नहीं विधान सभा चुन कर भेजेगी। परिणाम स्वरूप सन् 52, 57,62, 67 के चुनाव जम्मू–कश्मीर में हुए ही नहीं। विधान सभा से चुन कर सांसद भेजे गये। भारत के संसद के अधिकारों पर सीधा हमला था और इसके खिलाफ जब लड़ाई होनी चाहिए थी तब देश की सरकार ने सारा प्रयास ये किया कि हमें और आपको ये पता ही न चले कि यह हो क्या रहा है। हम लोग समझते हैं कि धारा 370 के कारण यह सब समस्यायें हैं कि वहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता, बाहर के व्यक्ति से विवाह करने पर महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार नहीं होगा आदि–आदि। लेकिन यह धारा 370 के कारण नहीं है। जम्मू–कश्मीर हाई कोर्ट के कई जजों से हमारी वार्ता हुई वे भी नहीं बता सके कि यह सब कहाँ से आया। ढूढ़ने पर यह पता चला कि इसके पीछे मूल कारण तो अनुच्छेद 35ए है। अनुच्छेद 35ए भारतीय संविधान के मूल पाठ में नहीं है। इसे एनेक्स्जर के रूप में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 35ए पिछले 50 वर्षों से संविधान के मूल पाठ में जोड़ा ही नहीं गया, जिससे लोगों का ध्यान उस पर न जा सके। यह भारत के संविधान और लोगों के साथ धोखा है। बड़े–बड़े संविधान विशेषज्ञों को भी इसके विषय में जानकारी नहीं है। अतः धारा 370 जो कि एक अस्थाई और प्रक्रियात्मक अनुच्छेद है जिसे भारतीय संविधान को जम्मू–कश्मीर में लागू करने के लिए प्रयोग किया गया था। उसे आधार बनाकर अनुच्छेद 35ए के द्वारा वहाँ पर संवैधानिक धोखा किया जाता रहा है।

(विषय प्रतिपादक– आशुतोष भटनागर, सचिव, जम्मू–कश्मीर अध्ययन केन्द्र)

डॉ0 चन्द्र प्रकाश सिंह

संयोजक